सफाई किस प्रकार से होगा जब नाले और नाली के ऊपर अवैध कब्जा कर लेगें

भिलाईनगर। आज जोन क्रमांक 04 शिवाजी खुर्सीपार क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 38,30,32 इत्यादि वार्डो में भ्रमण के दौरान देखा गया। कि कुछ नागरिको द्वारा नाले के ऊपर अवैध कब्जा करके उसे ढक दिये है। कुछ लोग उसके ऊपर नहानी खोली, बाथरूम, बना लिए है। कुछ कब्जाधारी ऐसे है जो नाली के ऊपर स्लैब डालकर घर भी बना लिए है। ऐसे सभी अवैध कब्जाधारियों को आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने जोन क्रं. 4 के सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू को नोटिस देने के लिए आदेशित किये है। कब्जाधारी चार दिनों के अंदर अपना कब्जा खाली कर जगह को रिक्त कर दें। नहीं तो नगर निगम भिलाई द्वारा जे.सी.बी. के माध्यम से कब्जा रिक्त कराया जायेगा। इसमें आवश्यकता से अधिक निर्माण टूटने की संभावनी बनी रहती है। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी। सफाई किस प्रकार से होगा, वहां सफाई गैंग कैसे काम कर सकता है। न ही वहां पर सफाई कर्मचारी का फावड़ा चलेगा। हर व्यक्ति एक दूसरे पर दोष रोपण करेगा, तो सफाई नहीं होगा। अवैध कब्जे के पास कचरा जाम हो जाता है। यह भी देखने में आ रहा है, कि पालीथीन का रैपर, झिल्ली, पन्नी, डिस्पोजल, कुरकुरे को पैकेट, गुटका का पैकेट इत्यादि अपने घर के सामने नाली में फेंक देते है। नाली से केवल पानी जा सकता है, कचरा नहीं। बस मानसिकता बदलने की जरूरत है, ऐसे सभी दुकानदारो के ऊपर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जा रही है। निरीक्षण के दौरा स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, जनसम्पर्क अधिकारी अजय शुक्ला, जोन स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत मांझी, जोन सुपरवाइजर मंत् राम यादव, पी.आई.यू. अभिनव ठोकने, शुभम पाटनी इत्यादि उपस्थित रहे।